लोक सूचना कार्यालय (RTI Cell)
डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)
DOCTOR HARISINGH GOUR VISHWAVIDYALAYA SAGAR (M.P.) 470003
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

लोक सूचना अधिकारी
PUBLIC INFORMATION OFFICER

Phone No.07582-297121
E-Mail: rticelldhsgsu3@gmail.com

क. / लो.सू.का. / 2025 / 323

दिनांक – 04 / 10 / 2025

अतिआवश्यक

/ / परिपत्र / /

विषय– सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्रों की विहित समय सीमा में सूचना प्रेषण संबंधी ।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 के अंतर्गत आवेदकों द्वारा लोकसूचना कार्यालय में प्रस्तुत आवेदनों के संबंध में चाही गयी जानकारी, अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के अंतर्गत विहित समय सीमा 30 दिवस के भीतर आवेदक को प्रेषित की जानी चाहिये। प्रायः यह देखने में आया है कि विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों / शाखाओं / प्रकोष्ठों के संबंधित समलोक सूचना अधिकारियों द्वारा चाही गयी जानकारी नियत अवधि 30 दिवस के उपरांत लोकसूचना कार्यालय में प्रस्तुत की जाती है, जो कि **सूचना का अधिकार अधिनियम ,2005 में वर्णित प्रावधानों का उल्लंघन है। उक्त के संबंध में कुलसचिव महोदय तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा समयबद्ध जानकारी प्रेषित करने हेतु समस्त समलोक सूचना अधिकारियों को पूर्व में भी पत्र के माध्यम से निर्देशित किया जा चुका है** । अतः सभी समलोक सूचना अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि आरटीआई आवेदन पत्र की संबंधित जानकारी अविलंब लोकसूचना कार्यालय को प्रेषित की जाए।

वर्तमान में विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों / शाखाओं के संबंधित समलोक सूचना अधिकारियों द्वारा निश्चित समयाविधि में जानकारी उपलब्ध न कराये जाने पर, आवेदक को संबंधित जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत निःशुल्क प्रदान की जा रही है। जिससे विश्वविद्यालय को राजस्व की हानि भी होती है। पूर्व में भी **माननीय केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली द्वारा समयबद्ध जानकारी प्रेषित करने के संबंध में विश्वविद्यालय को निर्देशित किया जा चुका है। जिनका परिपालन समस्त समलोक सूचना अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।**

उपरोक्त के आलोक में समस्त समलोक सूचना अधिकारियों को पुनः निर्देशित किया जाता है, कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आवेदक द्वारा चाही गयी जानकारी को उक्त अधिनियम में वर्णित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए एवं उनके परिपालन में विनिर्दिष्ट समय सीमा (आवेदन दिनांक से 30 दिवस के अंदर) में उपलब्ध करायें, अन्यथा धारा 20(1) के तहत शास्ति अधिरोपण (नियत समयाविधि में जानकारी उपलब्ध न कराये जाने पर प्रत्येक दिन रूपया 250 / – के हिसाब से अधिकतम 25000 / – तक) की कार्यवाही के लिए धारा 5(5) के तहत समलोक सूचना अधिकारी के रूप में आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

04/10/2025

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी (CPIO)
डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर (म0प्र0)

प्रतिलिपि :–

1. कुलपति महोदय जी के निज सचिव के माध्यम से कुलपति जी को सूचनार्थ।

2. कुलसचिव जी के निज सचिव के माध्यम से कुलसचिव जी को सूचनार्थ।
3. प्रथम अपीलीय अधिकारी जी को सूचनार्थ।
4. लोकसूचना कार्यालय को सूचनार्थ।
5. समस्त समलोक सूचना अधिकारी (संयुक्त कुलसचिव/उपकुलसचिव/सहायक कुलसचिव/विभागाध्यक्ष/निदेशक/सहायक निदेशक/शाखा प्रभारी/अनुभाग अधिकारी/डीन/वार्डन/उपयंत्री/सहायक यंत्री/विभिन्न समितियों के अध्यक्ष) को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।